REET 2025
LEVEL-2
वंदन बैच
POLITY
राष्ट्रपति President
LIVE
13-01-2024 07:00 PM

राष्ट्रपति

- भाग - 5
- अध्याय - 1
- अनुच्छेद → 52 - 62
- प्रावधान → USA

अनु→52 → भारत का एक राष्ट्रपति होगा।

अनु→53 → संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में होती हैं, जिनका प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं अथवा अपने अधिनस्थ अधिकारियो के माध्यम से प्रयोग में लाता है।

→ देश की तीनो सेनाओ का सेनापति राष्ट्रपति होता है।

अनु. 54 → राष्ट्रपति का निर्वाचन मण्डल

→ राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्न सदस्य भाग लेते हैं।

1. लोकसभा के निर्वाचित सदस्य
2. राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य
3. विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
4. वे केन्द्रशासित प्रदेश जहां विधानसभा के चुनाव होते हैं वहां के निर्वाचित सदस्य जैसे - दिल्ली, पुडुचेरी, J&K

अनु. 55 → निर्वाचन प्रक्रिया

विधि → एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली

+ राष्ट्रपति के चुनावों में भारत के विधानसभा व संसद के सदस्यों का मत मूल्य निकाला जाता है।

$$\text{विधायक का मत मूल्य} = \frac{\text{राज्य कि जनसंख्या}}{\text{निर्वाचित विधायको की संख्या}} \times \frac{1}{1000}$$

Note: जनसंख्या 1971 के अनुसार सीटे तय कि जाती है।

सर्वाधिक मत मूल्य वाला राज्य = उत्तरप्रदेश (208)

न्यूनतम मत मूल्य वाला राज्य = सिक्किम (7)

राजस्थान के विधायक का मतमूल्य = 129

सांसद का मत मूल्य = भारत के सभी विधायकों का मत मूल्य / निर्वाचित सांसदों की संख्या

भारत में एक सांसद का मत मूल्य = **708**

विधि → एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली पद्धति/प्रणाली

* राष्ट्रपति बनने के लिए कुल वैध मतों को 50%+1 वोट प्राप्त होने चाहिए

* भारत में अब तक एक बार (1969) दूसरी वरीयता की गणना हुई है।

* V.V. गिरी - अब-तक भारत का एकमात्र राष्ट्रपति जो दूसरी वरीयता गणना में जीते है।

अनु. 56 → राष्ट्रपति का कार्यकाल

→ पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक

→ राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र → उपराष्ट्रपति

[उपराष्ट्रपति त्यागपत्र की सूचना लोकसभा स्पीकर को देगा।]

→ राष्ट्रपति को अनु. 61 के तहत महाभियोग प्रक्रिया से हटा सकते है।

→ राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही उनके उत्तराधिकारी का चुनाव करा लिया जाता है।